कृषि विज्ञान केन्द्र, उझानी (बदायूँ)
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय, मेरठ

कोविड–19 के कारण लाकडाउन (बन्दी) अवधि के दौरान किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए दिशा निर्देशः

भारत सरकार के दिशा–निर्देश (गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार 2440–3/2020 –डीएम–आई(ए) दिनांक 24, 25 और 27 मार्च, 2020) के तहत निम्नलिखित कृषि और संबद्ध गतिविधियों को लॉकडाउन (बन्दी) की अवधि के दौरान छूट दी गयी हैः

- **उर्वरक, कीटनाशक और बीज के विकास और पैकेजिंग में कार्यरत इकाईयाँ।**
- **जिन मंडियों का संचलन कृषि उपज मंडी समिति द्वारा किया जाता है या राज्य सरकर द्वारा अधिसूचित किया जाता है**
- **कम्बाइन हार्वेस्टर और कृषि/बागवानी उपकरणों की कटाई और बुवाई संबंधित मशीनों की अंतर–राज्य आवाजाही।**
- **किसानों और खेत श्रमिकों द्वारा खेती का कार्य।**
- **फार्म मशीनरी से संबंधित कस्टम हायरिंग सेंटर ।**
- **एमएसपी परिचालनों सहित कृषि उत्पादों की खरीद हेतु उत्तरदायी समस्त अभिकरण**
- **पशु चिकित्सा अस्पताल।**

इन छूटों से कृषि और खेती से संबंधित गतिविधियों को बिना किसी असुविधा के किया जा सकेगा ताकि आवश्यक आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और किसानों को लॉकडाउन (बन्दी) के दौरान किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। लॉकडाउन (बन्दी) के दौरान कार्यान्वयन के लिए संबंधित मंत्रालयों/राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं।

भारत सरकार के नीति–निर्देशों के आधार पर कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित गति को जारी रखने के लिए राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालय विभागों/द्वारा कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश जारी कर दिये गये है।

कृषि विज्ञान केन्द्र उझानी – बदायूँ द्वारा किसान भाईयों के लिए सलाह

(अ) फसलों की कटाई एवं मड़ाई से संबंधित

देश में कोविड–19 वाइरस के फैलने के खतरे के साथ रबी फसलें तेजी से पकने की ओर अग्रसर है। इन फसलों की कटाई एवं उनके बाजार तक पहुँचाने का काम वांछनीय है क्योंकि कृषि कार्य में समय की बाध्यता अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः किसानों को सावधानी एवं सुरक्षा का पालन करना बहुत ही जरूरी है ताकि इससे महामारी का फैलाव ना हो सके। ऐसी स्थिति में साधारण एवं सरल उपाय जैसे सामाजिक दूरी का निर्वहन, साबुन से हाथों को साफ करते रहना, चेहरे पर मास्क लगाना, सुरक्षा हेतु कपड़े पहनना एवं कृषि संयंत्रों व उपकरणो की सफाई करना अत्यंत आवश्यक है। किसानो को खेती के प्रत्येक कार्यो के दौरान एक दूसरे से सामाजिक दूरी बरकरार रखते हुए काम करना आवश्यक है।

निम्नलिखित कुछ सलाह किसानों के लिए अति–उपयोगी है।

- जनपद में गेहूं पकने की स्थिति में आ रहा है। अतः किसान भाई फसलों की कटाई के समय आपस में 2 मी0 की सामाजिक दूरी बनाकर कार्य करें। खेती का कार्य करने से पूर्व एवं बाद में हाथों को साबुन से धोंयें एवं कार्य करते समय मास्क अथवा कपड़े से मुँह को ढककर रखें।
- जो किसान भाई कम्बाइन से कटाई करायें वह कटाई उपरान्त फसल अवशेषों का भूसा बना लें या भूमि में मिला दें एवं फसल अवशेषों को कदापि न जलाएं।
- फसल कटाई के बाद खेत की गहरी जुताई करें।
- कृषि कार्यों में लगे संयंत्रों को कार्यों के पूर्व तथा कार्य समाप्त होने के पश्चात साफ सुथरा (Sanitize) करें।
- फसलों की हाथ से कटाई/तुड़ाई के दौरान बेहतर होगा कि 4–5 फीट की दूरी बनाकर काम को किया जाए। कार्यरत सभी व्यक्तियों/श्रमिकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि मास्क पहनकर ही काम करें।
- गन्ना बुबाई में बीज का चयन पौधा गन्ना से करें एवं अच्छे जमाव हेतु गन्ने का 1/3 ऊपरी भाग बीज में प्रयोग करें।
- गन्ने में दीमक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड 17.8 प्रतिशत दर 400 मिली0 प्रति हेक्टेअर की दर से 1875 ली0 पानी में घोल बनाकर कूड़ों में गन्ने की टुकड़ों पर छिड़काव करें। खड़ी फसल में प्रकोप होने पर क्लोरोपाइरीफास 20 प्रतिशत 05 ली0 प्रति हेक्टअर की दर से सिचाई जल के साथ प्रयोग करें।
- अंकुर वेधक के नियंत्रण हेतु फ्रिपोनिल 0.3 जी 10 किग्रा प्रति एकड़ की दर से खेत की सिंचाई उपरान्त प्रयोग करें।
- मक्का फसल में अच्छी बढवार के लिए जल विलय एन0पी0के0 18:18:18 दर 500 ग्राम प्रति 100 ली0 पानी में मिलाकर छिडकाव करें तथा तनावेधक के नियंत्रण हेतु कार्बोफ्यूरान 3 जी0 10 किग्रा प्रति एकड़ की दर से खेत में नमी की दशा में प्रयोग करें।

- मक्का, मिर्च, टमाटर, भिण्डी एवं कद्दूवर्गीय सब्जियों की समय–समय पर सिंचाई करें।
- टमाटर, मिर्च, भिण्डी, बैगन में फलवेधक नियंत्रण हेतु इण्डोक्साकार्व 500 मिली या इमामैक्टिन बैनजुएट 200 ग्राम प्रति हे0 की दर से प्रयोग करें।
- जायद फसलों एवं सब्जियों में रस चूसक एवं विषाणु वाहक कीटों के नियंत्रण हेतु थायोमिथाक्सम 25 प्रतिशत दर 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें।
- कद्दूवर्गीय सब्जियों में फल मक्खी के नियंत्रण हेतु फिरोमोन ट्रेप 20 ट्रेप/हे0 की दर या नीम का तेल 0.03 प्रतिशत दर 05 मिली0/ली0 की दर से प्रयोग करें।
- कद्दूवर्गीय सब्जियों में सूत्रकृमि के नियंत्रण हेतु कार्बोफ्यूरान 3 जी0 12 किग्रा/एकड़ का प्रयोग करें।
- आम में भुनगा एवं कढीकीट के नियंत्रण हेतु बुप्रोफेजिन 200 मिली प्रति 100 ली0 की दर से प्रयोग करें।
- आम में चूर्णिल आसिता या पाउडरी मिलड्यू रोग नियंत्रण हेतु डाइनोकेप 48 प्रतिशत दर 100 मिली0 या हैक्साकोनाजोल 5 प्रतिशत दर 200 ग्राम /100 ली0 पानी की दर से प्रयोग करें।
- पशुओं हेतु पीने के साफ पानी की व्यवस्था करें एवं छायादार स्थान पर बांधें एवं 4–5 बार पानी पिलाएं।

(ब) कृषि उत्पादों का कटाई उपरान्त भंडारण तथा विपणन

- प्रक्षत्रो पर कुछ खास कार्यो जैसे मड़ाई, सफाई, सुखाई, छंटाई, पैकेजिंग के दौरान किसानों/श्रमिकों को चेहरे पर मास्क अवश्य लगाना चाहिए जिससे वायु एवं धूल कणों से बचा जा सके और श्वास संबंधित तकलीफों से दूर रहा जा सके।
- तैयार अनाजो, मोटे अनाजों तथा दालों को भंडारण के पूर्व सुखा लेना चाहिए तथा पुराने जूट के बोरों को भडारण हेतु प्रयोग ना करें। नए बोरियों को नीम के 5 प्रतिशत घोल में उपचारित कर तथा सुखा कर ही अनाजों के भंडारण हेतु प्रयोग करें।
- इनके अतिरिक्त, किसानों के द्वारा उनके प्रक्षेत्रों पर तैयार, फूलगोभी, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां, खीरा तथा अन्य लौकीवर्गीय सब्जियों के सीधे विपणन में किसानों को सावधानी बरतने की जरूरत है।

अधिक जानकारी हेतु कृषि विज्ञान केन्द्र उझानी – बदायूँ के वैज्ञानिकों से मोबाइल पर संपर्क करें।
डा0 संजय कुमार, प्रभारी अधिकारी, 9412368175
डा0 श्रीपाल सिंह, वैज्ञानिक पशु विज्ञान, 8954903816
डा0 यशपाल सिंह, वैज्ञानिक उद्यान, 9457111952